



निदेशालय

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड
निकट-नन्दा की चौकी, सुद्धोवाला, विकासनगर रोड़, देहरादून



दूरभाष नं० 0135-2775813, 814 फैक्स नं० 2775816 ई०मेल: dir.icds.ua@gmail.com

पत्र संख्या सी-702 / बजट-5511 / 2019-20

दिनांक 06 जुलाई, 2020

समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, उत्तराखण्ड
(कालसी एवं चकराता को छोड़कर)।

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में समन्वित बाल विकास परियोजनाओं के संचालन/ क्रियान्वयन हेतु अतिरिक्त धनावंटन।

शासनादेश संख्या 408/XVII(4)/2020-2(6)/2020 दिनांक 24-04-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 3004062500/- (रू० तीन अरब चालीस लाख बासठ हजार पाँच सौ मात्र) एवं शासनादेश संख्या 750/XVII(4)/2020-5(28)/2020, दिनांक 06-08-2020 के द्वारा अनुदान संख्या-15 में प्राप्त वित्तीय स्वीकृति रू० 50214000/- (रू० पाँच करोड़ इक्कीस लाख चार हजार मात्र) के सापेक्ष वर्तमान आवंटन रू० 176122500 /- (रू० सतराह करोड़ इकसठ लाख बाईस हजार पाँच सौ मात्र) की धनराशि व्यय करने हेतु आपके निर्वतन पर संलग्न विवरण के अनुसार निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखी जाती है:-

शर्तें एवं प्रतिबन्ध निम्नवत् हैं :-

1. मानक मद 08-पारिश्रमिक अन्तर्गत आगनवाडी कार्मिको का पारिश्रमिक भुगतान नियमानुसार किया जाये
2. मानक मद 08-पारिश्रमिक अन्तर्गत आगनवाडी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं/मिनी आगनवाडी कार्यकत्रियों को मा० मुख्यमंत्री जी के घोषणा के क्रम में कोविड-19 में कार्य करने हेतु रू० 1000/- एवं रक्षा बन्धन के सुअवसर पर धनराशि रू० 1000/- इस प्रकार कुल रू० 2000/- प्रति आगनवाडी कार्मिको को प्रोत्साहन राशि दिये जाने हेतु नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें।
3. अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय कदापि न किया जाए और इस हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए न छोड़ी जाय।
4. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय संलग्नक के अनुसार विभिन्न मदों पर मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुये नियमानुसार किया जायेगा। आवंटित धनराशि का व्यय उसी मद में व्यय किया जायेगा, जिसके लिए आवंटित की गयी है। नई मद हेतु कदापि व्यय नहीं किया जायेगा।
5. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल व वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
6. प्रत्येक माह की 02 तारीख तक मासिक व्यय विवरण अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. वर्तमान जारी बजट को विभागीय वैबसाइट wecd.uk.gov.in में भी अपलोड किया गया है।
8. उक्त आवंटित धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनु०सं०-15 के लेखाशीर्षक 2235-02-102-03-03 के अन्तर्गत संलग्नक में निर्दिष्ट सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

संलग्न:- यथोपरि।

(जीवन चन्द्र जोशी)
वित्त नियंत्रक

पृष्ठांकन संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

वित्त नियंत्रक